न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा–II

अपील संख्या :– 01/2021

नन्दकिशोर पिता गोपाललाल ब्राहमण निवासी चावण्डिया तहसील बेगूं जिला चितौडगढ़ राजस्थान
.........अपिलान्ट

बनाम

1– श्री जगदीशचन्द्र पिता गोपाललाल ब्राहमण निवासी चावण्डिया तहसील बेगूं
2– श्री जानकीलाल पिता गोपाललाल ब्राहमण निवासी चावण्डिया तहसील बेगूं
3– श्री भगवानलाल पिता गोपाललाल ब्राहमण निवासी चावण्डिया तहसील बेगूं
4– श्रीमती अनोपबाई पिता गोपाललाल ब्राहमण निवासी चावण्डिया तहसील बेगूं हाल पत्नी किशन जी र्मा निवासी तुम्बडिया तहसील गंगरार राजस्थान
5– श्रीमती नानीबाई पिता गोपाललाल ब्राहमण निवासी चावण्डिया तहसील बेगूं हाल पत्नी बंशीलाल जी र्मा निवासी शिवाजीनगर, बालाजी मंदिर के पास, कांवा खेडा भीलवाडा राजस्थान
6– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूं
.... रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :– श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री वी.पी.शर्मा
अधिवक्ता रेस्पो.

आदेश दिनांक :– 01.06.2022

आदेश अपील नामान्तरण संख्या 326 ग्राम चावण्डिया ग्राम पंचायत दुगार द्वारा निर्णित, निर्णय दिनांक 5/7/2013

अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत ग्राम चावण्डियां पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूं के नामान्तरण संख्या 326 निर्णय दिनांक 05.07.2013 पर ग्राम पंचायत दुगार द्वारा मृतक खातेदार गोपाललाल पिता कजोड ब्राहमण निवासी चावण्डियां की विरासत के आधार पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपिलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित आधार बिन्दुओ पर प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि :–

यह कि ग्राम चावण्डियां के मृतक खातेदार गोपाललाल पिता कजोड ब्राहमण निवासी चावण्डिया जो अपिलान्ट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता थे कि मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरण संख्या 326 हल्का पटवारी ने विरासत के आधार पर बिना किसी पूर्ण जॉच पडताल के प्रस्तावित किया । गोपाललाल जी के वारिसान अपीलांट नन्दकिशोर एवं रेस्पोडेन्ट जगदीश, जानकीलाल, भगवानलाल, अनोपबाई, नानीबाई पुत्र पुत्री एवं बेवा राधाबाई पत्नी जिसकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है, थे । जबकि हल्का पटवारी ने बिना पूर्ण जॉच पडताल किये नन्दकिशोर अपिलान्ट का उपनाम लक्ष्मीनारायण के नाम पर प्रस्तावित कर दिया जबकि अपिलान्ट का वास्तविक एवं सभी दस्तावेजो में नाम लक्ष्मीनारायण न होकर नन्दकिशोर है । भू–अभिलेख निरिक्षक ने भी इस पर विधिक टिप्पणी नहीं की एवं मात्र खाना पूर्ति कर दी व ग्राम पंचायत ने भी बिना पूर्ण जॉच पडताल किये ही अपिलान्ट का उपनाम से ही नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो विधि प्रावधानो के विपरित होकर निर्णय निरस्त होने योग्य है ।

यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत दुगार ने उक्त नामान्तरण को अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर, विरासत के आधार पर नामान्तरण निर्णित किये जाने के पूर्व वारिसान को सुना जाकर या पूर्ण जॉच पडताल कि जाकर ही नामान्तरण स्वीकृत करना चाहिए था जो न किये जाने से अपिलान्ट का नाम ही गलत दर्ज हो गया जिससे नामान्तरण निर्णित करने का आदेश, एक अवैध आदेश / निर्णय की परिभा II में आता हैं एवं निरस्त योग्य है ।

यह कि अपिलान्ट का नाम गलत प्रस्तावित एवं स्वीकृत हो जाने से अपिलान्ट अपने कृ क होने के लाभो से वंचित हो रहा है एवं ग्राम पंचायत ने विधिक एवं प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को सुने बिना, एक तथाकथित अवैध, नि प्रभावी एवं ुन्य प्रस्तावित एन्ट्री के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर उक्त नामान्तरण निर्णय करने में भूल की हैं जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है ।

यह कि दिनांक 20/10/2020 को अपिलान्ट उक्त भूमि के आधार पर अपने आप को कृ क मान प्रधानमंत्री कृ क साथी योजना का पंजीकरण कराने गया तो नाम में अन्तर आने से योजना का लाभ का आवेदन करने से वंचित रह गया जिससे जानकारी आने पर हल्का पटवारी जी से उक्त नामान्तरण की प्रति हेतु आवेदन किया एवं प्रति दिनांक 23/10/2020 को प्राप्त हुई जिससे हल्का पटवारी द्वारा नाम गलत प्रस्तावित करने एवं अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा गलत नाम के आधार पर ही नामान्तरण निर्णित करने में भूल की हैं जिससे उक्त नामान्तरण निर्णय निरस्त किया जाकर अपिलान्ट का सही नाम लक्ष्मीनारायण के आधार पर नामान्तरण नये सिरे से किये जाने की प्रार्थना के साथ यह अपील नामान्तरण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है ।

यह कि नामान्तरण अपील सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपिल नामान्तरण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है ।

यह कि नामान्तरण संख्या 326 ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का दुगार का निर्णय दिनांक 05/7/2013 को होकर इस निर्णय की जानकारी अपिलान्ट को दिनांक 23/10/2020 को नामान्तरण की नकल प्राप्त करने से हुई है, एवं नकल प्राप्त होते ही नामान्तरण अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं साथ ही उक्त नामान्तरण निर्णय अवैध एवं नि प्रभावी निर्णय की परिभा II में आने से अवैध नामान्तरण को निरस्त किये जाने की कोई अवधि नहीं होना न्यायिक दृष्टान्तो में वर्णित है J फिर भी कानूनी

पैचदगी से बचने के लिए दिनांक 05/7/2013 से दिनांक 23/10/2020 तक की अवधि को कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पृथक से प्रस्तुत है । अन्य कारण वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे ।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना हैं कि मोजा चावण्डिया पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूं के नामान्तरण संख्या 326 पर गोपाललाल पिता कजोड ब्राहमण की मृत्यु हौ जाने से दिये गये अवैध एवं विधि विपरित निर्णय को निरस्त फरमा, सभी सही विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

उपरोक्त अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील पत्र में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि अधिनियम की धारा 5 का कोई जवाब प्रस्तुत नही कर अपील पत्र पर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रस्तुत अपील पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस अपील पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का सही नाम नन्दकिशोर पिता गोपालाल ब्राम्हण है जिसकी पूर्णतया जॉच नहीं करते हुए पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का उपनाम लक्ष्मीनारायण नामान्तरण में अंकित कर दिया है जबकि अपीलान्ट के समस्त दस्तावेज में नन्दकिशोर नाम अंकित है । अतः मृतक खातेदार गोपालाल पिता कजोड ब्राम्हण की मृत्यु पश्चात विरासत से खोल गये नामान्तरण संख्या 326 को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम लक्ष्मीनारायण पिता गोपाललाल ब्राम्हण के स्थान पर नन्दकिशोर पिता गोपाललाल ब्राम्हण अंकित कर अन्य वारिसान के नाम पर नामान्तरण खोले जाने का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा एवं मृतक खातेदार गोपाललाल के अन्य वारिसान रेस्पोडेन्ट ने भी अपीलान्ट का सही नाम नन्दकिशोर होने का कथन अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। नामान्तरण संख्या 326 जो कि मृतक खातेदार गोपाललाल ब्राम्हण की मृत्यु होने से विरासत के कारण खोला गया है जिसमें अपीलान्ट का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज अंकित कर अन्य रेस्पोडेन्ट का नाम नामान्तरण में अंकित किया है। उक्त नामान्तरण से अपीलान्ट का नाम जमाबंदी में भी लक्ष्मीनारायण अंकित किया गया है। जबकि सरपंच ग्राम पंचायत दुगार द्वारा गोपाल के वारिसान में अपीलान्ट का नाम नन्दकिशोर उर्फ लक्ष्मीनारायण होना अंकित किया है।जबकि अन्य दस्तावेज भारत निर्वाचन कार्ड में नन्दकिशोर पिता गोपाल लाल, आधार कार्ड में नन्दकिशोर ,बैंक पासबुक पंजाब नेश्नल बैंक में भी नन्दकिशोर पिता गोपाल लाल तथा परिवार राशन कार्ड में भी नन्दकिशोर पिता गोपाल लाल अंकित हुआ है। हमारी विनम्र राय जो विरासत से नामान्तरण संख्या 326 पटवारी हल्का द्वारा खोला गया है उस सम्बन्ध में गोपाल लाल के वारिसान के सही सही नाम की जानकारी लेते हुए नहीं खोला जाना सिद्ध होता है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का दुगार में गोपाल लाल पुत्र कजोड ब्राम्हण की मृत्यु होने पर विरासत से खोले गये नामान्तरण संख्या 326 निर्णित दिनांक 05-07-2013 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, बेगूं को निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार गोपाल लाल पुत्र कजोड ब्राम्हण के वारिसान अपीलान्ट नन्दकिशोर पिता गोपाल लाल ब्राम्हण एवं अन्य रेस्पोडेन्ट जगदीशचन्द्र, जानकीलाल, भगवानलाल पिता गोपाल लाल ब्राम्हण एवं श्रीमती अनोपबाई पिता गोपाल लाल ब्राम्हण पत्नि किशन शर्मा एवं श्रीमति नानीबाई पिता गोपाल लाल ब्राम्हण पति बंशीलाल के नाम पर विरासत से सही नामान्तरण दर्ज कर प्रमाणित करें ।

आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार मीणा–II)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूं जिला चितौडगढ

क्रमांक / सरिश्ता / 2022 / 206 दिनांक :– 6-6-2022

अपील पत्र संख्या 01/2021 व अनवान नन्दकिशोर बनाम जगदीशचन्द्र वगै. अपील नामा. सं. 326 में हुए आदेश दिनांक 01.06.2022 की प्रति तहसीलदार, बेगूं को पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
बेगूं जिला चितौडगढ